कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार,
सामाजिक प्रक्षेत्र –I, स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा,
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना - 800001

सं0.एल0ए0 / एस0एस0–1 / श0स्था0नि0 / दिनांक–

सेवा में,

कार्यपालक पदाधिकारी
नगर पंचायत, मोतीपुर
जिला– मुजफ्फरपुर

महाशय,

नगर पंचायत, मोतीपुर के वर्ष 2013–14 से 2015–16 के लेखाओं पर आधारित लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं0 291/16–17 आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित है। अनुरोध है कि इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की कंडिकाओं का अनुपालन, लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्राप्ति के 3 माह के अन्दर पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की लम्बित कंडिकाओं के अनुपालन के साथ अभिप्रमाणित साक्ष्य सहित नगर पंचायत बोर्ड से अनुमोदित कराकर जिला स्तरीय समिति के समीक्षोपरान्त प्रेषित किया/करवाया जाय जिससे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके।

यह निरीक्षण प्रतिवेदन लेखापरीक्षित इकाई द्वारा समर्पित एवं उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/विवरणों के आधार पर तैयार किया गया है। महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार पटना का कार्यालय लेखा परीक्षित इकाई द्वारा किसी भी गलत सूचना देने अथवा सही तथ्य छिपाने की जवाबदेही का दावा नहीं करता है।

संलग्नकः यथोपरि

भवदीय,

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

सं0–एल0ए0 / एस.एस.–1 / श0स्था0नि0/14617/318 दिनांक– 30/11/2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार, पटना
2. जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर

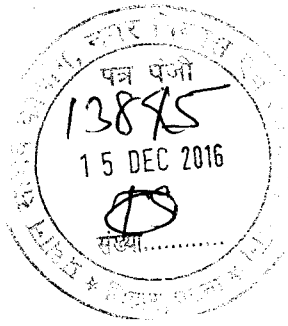

वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी
श0स्था0नि0 / सामाजिक प्रक्षेत्र–1
स्थानीय लेखापरीक्षा शाखा, पटना

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन सं.– 291/16–17

भाग –I

प्रस्तावना

1	निरीक्षित इकाई का नाम	नगर पंचायत, मोतीपुर
2	परीक्षित लेखा की अवधि	2013–14 से 2015–16
3	लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	अंकेक्षण में जांच किये गये अभिलेखों एवं पंजियों की सूची प्रतिवेदन के परिशिष्ट–I में दर्शायी गयी है। जिन अभिलेखों एवं पंजियों को अंकेक्षण में उपस्थापित नहीं किया गया था, अधूरा संधारित था या संधारित नहीं था, को परिशिष्ट– II में दर्शाया गया है।
4	लेखापरीक्षा की अवधि	04.05.2016 से 10.05.2016
5	**प्रशासन**	
	मुख्य पार्षद	कार्य अवधि
	1. श्रीमती अंजली राय	9 जून 2012 से अबतक
	उप मुख्य पार्षद	
	1. श्रीमति मोनिका देवी	9 जून 2012 से अबतक
	कार्यपालक पदाधिकारी	
	1. श्री अंगद सिंह 2. श्री अरूण कुमार सिंह 3. श्री शिवाजी सिंह 4. श्री आशिष कुमार सिन्हा	25.08.2010 से 19.02.2014 19.02.2014 से 12.05.2015 12.05.2015 से 05.09.2015 05.09.2015 से अबतक
6	लेखापरीक्षा दल के सदस्य	श्री सालकीन अहमद, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी श्री मनोज कुमार, पर्यवेक्षक श्री राम नाथ प्रसाद, पर्यवेक्षक
7	निरीक्षण अधिकारी का नाम	श्री शम्भु प्रसाद गुप्ता, वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी
8	पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	अनेक बार स्मारित करने के बावजूद लेखापरीक्षा के दौरान पूर्ववर्ती लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का अनुपालन अंकेक्षण में उपस्थापित नही किया गया, जिसके कारण लंबित कंडिकाओं के निस्तारण की अनुशंसा लेखापरीक्षा दल द्वारा नही की जा सकी। कार्यपालिका का ध्यान विशेष रूप से आकृष्ट करते हुए सलाह दी जाती है कि पूर्ववर्ती अंकेक्षण की लंबित कंडिकाओं के अनुपालन हेतु शीघ्र प्रभावी कदम उठाया जाय।
9	अंकेक्षण टिप्पणी	जिन अंकेक्षण आपत्तियों का निस्तारण इकाई के अंकेक्षण के दौरान नहीं हो सका, उन्हें इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है।
10	क्या कार्यपालक पदाधिकारी के साथ आपत्तियों पर चर्चा की गयी	हॉ, दिनांक 10.05.2016

11 लेखापरीक्षा परिणाम

1	लेखापरीक्षा के दौरान वसूली गयी राशि	₹ 11500.00
2	वसूली हेतु सुझायी गयी राशि	₹ 2908758.00
3	अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी गयी राशि	₹ 5642380.00

(विवरण परिशिष्ट– III पर)

12 बजट प्राक्कलन का नहीं बनाया जाना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 82 से 85 में नगरपालिका का बजट बनाने, उसकी मंजूरी तथा बजट अनुदान में परिवर्तन से संबंधित प्रावधान किये गये हैं। इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष 15 फरवरी को अथवा तत्पश्चात यथासम्भव शीघ्र बजट प्राक्कलन नगरपालिका के समक्ष पेश करना है। नगरपालिका बजट प्राक्कलन और इस पर सशक्त स्थायी समिति की अनुशंसा, यदि कोई हो पर विचार करेगी तथा प्रत्येक वर्ष 15 मार्च तक ऐसे परिवर्तनों के साथ आगामी वर्ष हेतु बजट प्राक्कलन अंगीकार करेगी जैसा वह आवश्यक समझे और इस प्रकार अंगीकृत बजट राज्य सरकार को भेजेगी। यथा स्थिति राज्य सरकार उपरोक्त उपधारा के अधीन प्राप्त बजट प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से सम्बद्ध उपबंधों में परिवर्तन के साथ अथवा बिना परिवर्तन के उस वर्ष के मार्च की 31 तारीख के पूर्व नगरपालिका को लौटा देगी। परन्तु नगर पंचायत, मोतीपुर 2014–15 एवं 2015–16 का बजट संचिका एवं बजट की प्रति दल के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। जिस के अभाव में यह कहना मुश्किल है कि बजट बनाया गया अथवा नहीं। कार्यालय द्वारा इस संबध में कोई जबाब नहीं दिया गया।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि उपरोक्त नियमानुसार बजट बनाया जाय एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को सूचित किया जाये।

13. नगर पंचायत, मोतीपुर द्वारा उपलब्ध करायी गयी विवरणी के अनुसार वर्ष 2013–14, 2014–15 एवं 2015–16 की आय– व्यय विवरणी निम्न प्रकार थी :

		2013–14	2014–15	2015–16
1	प्रारम्भिक शेष	30924400.27	60983385.27	79737914.27
2	वर्ष के दौरान प्राप्ति			
क	अनुदान	44705157	50723842	58704026
ख	ब्याज	486295	718786	701322
ग	अन्य	0.00	0.00	0.00
3	वर्ष के दौरान प्राप्ति	45191452	51442628	59405348
4	कुल प्राप्ति	76115852.27	112426013.3	139143262.3
5.	कुल व्यय	15132467	32688099	35910883
6	अंतशेष	60983385.27	79737914.27	103232379.3

(विवरण परिशिष्ट– IV पर)

नगर पंचायत, मोतीपुर द्वारा कोषागार रोकड़ बही सहित 12 रोकड़बही का संधारण किया गया। यह रोकड़बही मद–वार न करके बैंक खाता–वार किया गया। एक ही खाते में एक से अधिक अनुदान–मद की राशि रखी गयी जबकि सरकार द्वारा समय– समय पर जारी किये गए दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक मद के अलग– अलग रोकड़बही एवं बैंक खाते का संचालन किया जाना था। इसके कारण निधि के विचलन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि उक्त त्रुटियों के निराकरण की दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाए एवं फलाफल से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराई जाये।

दावा अस्वीकरण प्रमाण–पत्र

यह निरीक्षण प्रतिवेदन निरीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराये गए सूचनाओं एवं अभिलेखों पर आधारित है। कार्यालय, महालेखाकार लेखा परीक्षा, बिहार, पटना लेखा परीक्षित इकाई/कार्यालय द्वारा गलत सूचना उपलब्ध कराए जाने हेतु कतई उत्तरदायी नहीं होगा।

भाग– II (क) –शून्य

भाग– II (ख)

कंडिका संख्याः–1 परफौरमेंस सिक्युरिटी की कम कटौतीः– ₹ 1.94 लाख एवं मिनी डम्फर की खरीदारी पर निष्फल व्यय राशि :– ₹ 16.40 लाख

मोतीपुर नगर पंचायत सामान्य बोर्ड की बैठक दिनांक 11.08.2013 को हुई जिसकें प्रस्ताव सं0– 4 में 12वीं एवं 13वीं वित्त आयोग मद से कार्यालय उपयोग के लिए सामानों के खरीदने का निर्णय लिया गया। निर्णय के आलोक में निविदा दैनिक सामाचार पत्र 'हिन्दुस्तान' में दिनांक 26.01.2013 को निकाली गयी।

दिनांक 05.02.2013 को निविदा सशक्त स्थायी समिति के समक्ष खोली गयी एवं तुलनात्मक विवरणी के आधार पर निविदादाताओं का चयन किया गया। चयन के आधार पर कार्यादेश निकाली गयी, सामान आपूर्ति की गयी एवं राशि का भुगतान किया गया। विवरणी इस प्रकार है–

क्रम सं0	आपुर्ति आदेश सं0/दिनांक	सामान का नाम	अभिश्रव की राशि	वैट की दर	वैट की राशि	राशि	चेक सं0/दिनांक	दुकान का नाम
1	108/13.04.13	मिनी डम्फर	1640000/–	13.5 प्रतिशत	195066/–	1444934.00	42826/21.06.13	इम्पीरियल अशोक लेयलैन्ड, मुज्जफरपुर
2	144/24.05.12	जेनरेटर	170500/–	13.5 प्रतिशत	20279/–	150220.00	42837/20.09.13	शक्ति इंडस्टीज एजेंसी, मुज्जफरपुर
3	111/13.04.13	फोटो कॉपी मशीन	43560/–	5 प्रतिशत	2074/–	41485.00	42827/21.06.13	डीजीटल सौलुसन, पटना
4	112/13.04.13	कम्प्यूटर	86000/–	5 प्रतिशत	4095/–	81904.00	42836/7.02.13	तिरहुत इंटरप्राईजेज, मुज्जफरपुर
		कुल	1940060/–		221514/–	1718543/–		

अंकेक्षण टिप्पणी :–

1. बिहार वित्त नियमावली की धारा 131 (0) एवं (P) के अनुसार किसी भी आपूर्ति पर Performance Security के रूप में गारंटी अवधि तक कुल मूल्य का 05–10 प्रतिशत की राशि Security

deposit के रूप में कार्यालय द्वारा रखी जाती है, ताकि भविष्य में कुछ गड़बड़ी या असहमति होने पर राशि को Forfeit की जा सके, परन्तु उपर्युक्त सामानों के अंतिम भुगतान के समय इस तरह की कोई राशि न तो काटी गयी और न ही कार्यपालक पदाधिकारी स्तर से इस बिन्दु पर कोई टिप्पणी संचिका में दृष्टिगोचर हुई। फलस्वरूप ₹ 194006/– राशि का अधिक भुगतान हुआ और कार्यालय द्वारा Perfomance Security के रूप में राशि की कटौती आपूर्तिकर्त्ता से नहीं करना कहीं न कहीं प्रशासनिक लापरवाही एवं आपूर्तिकर्त्ता को undue favour की ओर इशारा करती है।

2. मिनी डम्फर का लौगबुक आवश्यक अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया।

कार्यालय द्वारा यह जवाब दिया गया कि मिनिडम्फर से तत्काल कार्य नहीं लिया जा रहा है। कार्य प्रारम्भ होते ही लौगबुक खोला जाएगा। परफारमेंस सिक्युरिटि के संबध में कोई जवाब नहीं दिया गया।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा भविष्य में सामानों की खरीदारी के समय उपर्युक्त नियमानुसार परफारमेंस सिक्युरिटि की कटौती करके ही भुगतान सुनिश्चित किया जाय।

मिनिडम्फर 2013 में खरीदी गयी और अंकेक्षण की समाप्ति तक व्यर्थ रखे जाने से यह पता चलता है कि कार्यालय को मिनी डम्फर की उपयोगिता थी ही नहीं अगर उपयोगिता होती तो मिनि डम्फर का उपयोग किया गया होता।

इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मिनी डम्फर की खरीदारी पर राशि ₹ 1640000/– का निष्फल व्यय किया गया।

अतः राशि ₹ 1640000/– अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका संख्याः– 2 योजना में अनियमित भुगतान, ₹ 3.90 लाख एवं वसूलनीय राशि ₹ 0.14 लाख

योजना सं0	01/15–16 (समेकित आवास एवं गन्दी बस्ती विकास कार्यक्रम)
योजना का नामः–	नगर पंचायत मोतीपुर अन्तर्गत वार्ड सं0 10 में चन्द्रभूषण साह के घर से शिशु शिक्षालय तक 311 फीट लम्बाई सड़क निर्माण कार्य
अभिकर्ता का नामः–	श्री सचिन कुमार शुक्ला, कनीय अभियंता
प्राक्कलित राशिः–	रू 417000/–
कार्यमूल्यः–	रू 404800/– (मापी पुस्तिका के अनुसार दिनांक 03.11.2015)
योजना पर व्ययः–	रू 404767/–
रायल्टी की राशिः–	रू 5813/–
लेबर सेसः–	रू 4116/–
बिक्री करः–	रू 1438/–

अभिश्रव की राशिः— रू 366669/—

मस्टर रॉल की राशिः— रू 38131/—

मस्टर रॉल एवं अभिश्रव की कुल राशिः— रू 404800/—

कार्यादेशः— ज्ञापांक — 02 दिनांक — 29.05.2015

कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथिः— दो माह

कार्य पूर्ण होने की तिथिः—03.11.15 (मापी पुस्तिका के अनुसार)

लेखापरीक्षा टिप्पणीः—

1. बिहार वित्त नियमावली के अनुसार किसी भी योजना में सामग्री विपत्र एवं मस्टर रॉल संबंधित पदाधिकारी द्वारा पारित करने के बाद ही राशि अंतिम भुगतान किया जाना चाहिए था, परन्तु योजना से संबंधित संचिका के जांच में पाया गया कि संलग्न सामग्री विपत्र एवं मस्टर रॉल सक्षम पदाधिकारी से पारित किए बिना ही राशि रू 404767/—भुगतान कर दिया गया।
2. योजना संचिका में संलग्न मस्टर रॉल पर 20 मजदूरों द्वारा मस्टर रौल में हस्ताक्षर या अंगुठा का निशान नहीं लगा पाया गया, परन्तु राशि रू 26441/—का भुगतान किया गया।
3. मस्टर रॉल पर अभिकर्ता का हस्ताक्षर, हाजरी लेनेवाले व्यक्ति का हस्ताक्षर, कनीय अभियंता का हस्ताक्षर नहीं पाया गया। इस से उक्त मस्टर रॉल का फर्जी होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।
4. मस्टर रॉल पर मस्टर रॉल संख्यॉ अंकित नहीं पायी गयी।
5. योजना संचिका में संलग्न कार्यादेश के बिन्दु 2 के अनुसार योजना कार्य दो माह में पूर्ण किया जाना था, किन्तु योजना कार्य कार्यादेश निर्गत (29.05.15) करने के पॉच माह बाद (03.11.2015) को पूर्ण कराया गया। स्पष्ट है कि कार्यादेश का पालन नहीं किया गया।
6. योजना संचिका में संलग्न आदेश—फलक के अनुसार बिक्री कर के रूप में रू 1438/— रायल्टी एवं लेबर शेष के रूप में रू 9929/— (5813+4116) की कटौती की गई। किन्तु उक्त राशि संबंधित विभाग में जमा किए जाने संबंधी कोई प्रमाण संचिका में संलग्न नहीं पाया गया।
7. योजना संचिका में संलग्न मापी पुस्त कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित नहीं किया गया था और न हीं इस पर इसे जारी करनेवाले पदाधिकारी का ही हस्ताक्षर पाया गया।
8. बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा, 40 एवं 41 में भुगतान के समय श्रोत पर वैट की कटौती किये जाने का स्पष्ट प्रावधान है एवं उक्त धारा के तहत भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह दायित्व है कि आपूर्तिकर्त्ता एवं संवेदक को भुगतान करते समय श्रोत पर ही वैट की कटौती कर लें। ऐसा नहीं करने पर कटौती योग्य कर की राशि की दो गुणा (शास्ति सहित) व्यक्तिगत रुप से भुगतान करने का प्रावधान है।

परन्तु संचिका के जांच में पाया गया कि संलग्न सामग्री विपत्र के अनुसार वैट की राशि के रूप में रू0 24441/– की कटौती की जानी चाहिए थी, परन्तु इस मद हेतु विपत्र की राशि से केवल रू 10348/– (2718+ 1715+ 4477+ 1438) के कटौती की गई, शेष राशि रू 14093/– (24441– 10348) की कटौती नहीं की गई और न ही आपूर्तिकर्ता से Form C-III ही प्राप्त किया गया। साथ ही क्रय की गई सामग्री विपत्र के अनुसार रॉयल्टी के रूप में कुल राशि रू0 6022/– की कटौती की जानी थी। आदेश– फलक के अनुसार इस मद हेतु भी केवल रू 5813/– की कटौती की गई शेष राशि रू 209/– की कटौती नहीं की गई। जिस से सरकार के संबंधित विभागों को कुल रू0 14302/– (14093+ 209) की राजस्व हानि हुई। विवरण निम्न है–

क0 सं0	योजना सं0	अभिश्रव सं0	दिनांक	सामग्री	मात्रा ;घन मी0/बेग/सं0	दर	मूल्य	वैट	रॉयल्टी	आपूर्तिकर्ता
1	01/15–16	371	13.09.15	ईट	13500	5869.6	79240	3962	1350	के0 बी0 एण्ड कम्पनी,
2		996	20.09.15	सोन बालू	100 cft	5198	41584	2079	142	निर्माण ट्रेडर्स
3		997	22.09.15	स्टोन चिप्स	1600 cft	6887	110192	5510	4530	
4		167	17.10.15	सेमेन्ट	310 बेग	308	95480	12890	0	मॉ भवानी ट्रेडर्स
कुल								**24441**	**6022**	

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में कोई जवाब नहीं दिया गया।

अतः वैट एवं रॉयल्टी के रूप में कम कटौती की राशि रू 14302/– जिम्मेवार व्यक्ति से वसूल की जाय। अन्य आपत्तियों के निराकरण होने तक व्यय की शेष राशि रू 390465/– (404767– 14302) अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका संख्याः– 3 योजना का संदिग्ध कियान्वयन एवं अधिक भुगतान रू 1.22 लाख

योजना सं0 04/15–16 (IHSDP)

योजना का नाम – नगर पंचायत मोतीपुर के अन्तर्गत वार्ड – II में बखेरा मुख्य मार्ग पर गणेशी राय के बथान से रामाशिष राय के घर तक 500 फीट लम्बाई में सड़क का PCC कार्य, Part – II

अभिकर्ता – श्री सचिन कुमार शुक्ला, कनीय अभियंता न0 प0 मोतीपुर

प्राक्कलित राशि – रू 661000/–

मापी की राशि – रू 660900/– (तिथि 12.09.15)

भुगतान – रू 660700/–

अभिश्रव की राशि – रू 538305/– (516143+22162)

मस्टर रॉल की राशि – रू 122395/–

सादा पेज पर भुगतान – रू 22162/–

कार्य की अवधि -- मापी पुस्त के अनुसार – दिनांक 31.08.15 से 06.09.15

अंकेक्षण आपत्ति –

1. योजना सं0 04/15–16 तथा 03/15–16 से संबंधित मस्टर रॉल के जॉच में पाया गया कि दिनांक 26.08.2015 से दिनांक 01.09.2015 तक योजना सं0 03/2015–16 में उन्ही मजदूरों को कार्यरत दिखलाया गया था जिन्हे योजना सं 04/2015–16 में दिनांक 31.08.2015 से 06.09.2015 तक के बीच कार्य करते दिखलाया गया था इस प्रकार कुल 30 मजदूरों एवं 16 मिस्त्रीयों को एक ही समय (दिनांक 31.08.15 एवं दिनांक 01.09.15) दोनों योजनाओं में कार्यरत दिखलाया गया। एक ही व्यक्ति की दो अलग अलग जगह उपस्थित दिखलाना पूरी कार्यप्रणाली को संदिग्ध बनाता है। इस प्रकार एक ही मजदूर/मिस्त्री को एक ही समय में दो योजनाओं में कार्यरत दिखला कर रू 16212/– अधिक भुगतान कर दिया गया। विवरण परिशिष्ट– V पर संलग्न। उक्त मस्टर रॉल में प्रत्येक की कुल राशि रू 122395/– थी।
2. सादे पेज पर रू 22162/– का भुगतान किया गया जो बिहार वित्तीय नियमावली के विरूद्ध था।
3. मस्टर रॉल पर किसी भी मजदूर का हस्ताक्षर नहीं पाया गया। साथ ही किसी भी मजदूर का पता, पिता का नाम या पहचान सं0 अंकित नहीं किया गया पाया गया।

उपर्युक्त तथ्यों से योजना में संलग्न मजदूर नामावली संदिग्ध प्रतीत हुआ।

अंकेक्षण आपत्ति के आलोक में बतलाया गया कि इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

एक ही कार्य अवधि में दो योजनाओं में कार्य करते दिखलाकर किया गया अधिक भुगतान की राशि रू 16212/– सहित मस्टर रॉल की कुल राशि रू 122395/– जिम्मेवार व्यक्ति से वसूल कर फलाफल से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाय। साथ ही दोनों योजनाओं में किए गए कार्य का पूर्ण जॉच अपेक्षित है । जॉच के फलाफल से लेखापरीक्षा कार्यालय को अवगत कराया जाय।

कंडिका संख्याः– 4 अंकेक्षण के दौरान जमा की गयी राशि रू 0.12 लाख

नगर पंचायत मोतीपुर के द्वारा उपलब्ध कराये गये विविध रसीद एवं दैनिक वसूली/जमा पंजी तथा बैंक विवरणी के मिलान के दौरान पाया गया कि वसूली गई राशि पंचायत कोष में जमा नहीं किया गया। विवरणी निम्न है –

कम सं0	दिनांक	रसीद सं0	राशि (रू. में)	संग्रहकर्ता का नाम
1	09.05.16	4207	5000	श्री विभूति शरण श्रीवास्तव
2	30.01.16	3228	2000	श्री विभूति शरण श्रीवास्तव
3	29.03.16	3229	2500	श्री विभूति शरण श्रीवास्तव
4	29.03.16	3230	2000	
कुल			**11500**	

लेखापरीक्षा आपत्ति के आलोक में जवाब दिया गया कि कम जमा राशि ₹ 11500 को दिनांक 07.05.2016 को बैंक में जमा कर दिया गया है।

कंडिका संख्याः–5 बगैर सशक्त स्थायी समिति की स्वीकृति के चार कर्मियों के वेतन का अग्रिम भुगतान किया जाना

बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 36 में प्रावधान किया गया है कि धारा–41 के उपबंधों तथा नगरपालिका प्रशासन में अधिकतम संभावित मितव्यतिता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता के अध्यधीन, नगरपालिका में पदाधिकारियों के निम्नलिखित पद होंगे–

(1) नगर परिषद अथवा नगर परिषद के मामले में :–

(i) नगर कार्यपालक पदाधिकारी,

(ii) नगर वित्त पदाधिकारी,

(iii) नगर अभियंता,

(iv) नगर स्वास्थ्य पदाधिकारी, ;अर्द्ध नगर सचिव, और

(v) ऐसे अन्य पदाधिकारी जैसा कि इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किया जाय; परन्तु यह कि राज्य सरकार पूर्वोक्त पदाधिकारियों के पदों की संख्या कम कर सकेगा; परन्तु यह और कि राज्य सरकार पदाधिकारियों के पूर्वोक्त किसी पद को पुनः नाम निर्दिष्ट कर सकेगी।

(2) उपधारा– (1) में उल्लिखित पदाधिकारियों की नियुक्ति या तो नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर ऐसी अवधि के लिए की जाएगी, जैसा कि सशक्त स्थायी समिति आवश्यक समझे।

(4) उपधारा– (2) के उपबंधों के अधीन विभिन्न पदों के लिए, उपधारा– (1) में निर्दिष्ट पदाधिकारियों की नियुक्ति, जैसा कि विनियम द्वारा विनिर्दिष्ट की जाय – (क) अधिसूचना के माध्यम से सशक्त स्थायी समिति से परामर्श कर राज्य सरकार द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से की जाएगी, जो सरकार की सेवा में हो, या रहे हों, अथवा (ख) राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से सशक्त स्थायी समिति द्वारा ऐसे पदाधिकारियों के बीच से की जाएगी, जो किसी नगरपालिका की नगरपालिका सेवा में हो या रहे हों, अथवा (ग) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और राज्य लोकसेवा आयोग के परामर्श से सशक्त स्थायी समिति द्वारा की जाएगी; परन्तु यह कि पूर्वोक्त पदों पर नियुक्ति ऐसी शर्त एवं बंधेज पर और प्रथमतः पाँच वर्षों से अधिक अवधि के लिए की जाएगी, जैसा कि राज्य सरकार अवधारित करे; परन्तु यह और कि राज्य सरकार सशक्त स्थायी समिति के परामर्श से पूर्वोक्त पदों पर नियुक्ति की अवधि समय समय पर बढ़ा सकेगी।

इसके अतिरिक्त इस अधिनियम के निम्न धाराओं में पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया गया है–

39. पदाधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों के वेतन एवं भत्ते– (1) धारा– 36 में निर्दिष्ट पदाधिकारियों समेत नगरपालिका के सभी पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों को नगरपालिका निधि से वेतन एवं भत्ते प्राप्त होंगे।

(2) नगरपालिका अपने पदाधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के लिए पेंशन, उपादान, भविष्य निधि, उत्प्रेरण, लाभांश, ईनाम या शास्ति अधिनियम में विनिर्दिष्ट यथाविहित नियमों, मानकों, पैमानों एवं शर्त्तों के अनुसार उपबंधित कर सकता है।

40. छुट्टी तथा अन्य सेवा शर्त्तें– नगरपालिका के सभी पदाधिकारी एवं अन्य कर्मचारी ऐसी छुट्टी तथा अन्य लाभ अथवा वाध्यता सहित जो इस अधिनियम में विशेष रूप से उपबंधित न हो, ऐसी सेवा शर्त्तों के अधीन होंगे, जैसा कि विहित की जाये।

41. नगरपालिकाओं के लिए राज्य सरकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति– इस अधिनियम में अन्यत्र अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार ऐसी अर्हता वाले, जैसा कि इसके द्वारा अवधारित किया जाय, नगर निगम अथवा नगरपालिका वित्त पदाधिकारी, नगर अभियंता अथवा नगरपालिका स्वास्थ्य पदाधिकारी अथवा ऐसे पदनाम वाले पदाधिकारी जैसा कि राज्य सरकार आवश्यक समझे, किसी सरकारी सेवक की नियुक्ति ऐसी रीति से तथा सेवा की ऐसी शर्त्त एवं बधेज के आधार पर कर सकेगी, जैसा कि राज्य सरकार इस निमित्त अवधारित करे। ऐसे किसी पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ता मद में व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

अधिनियम में किये गये उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि बगैर सशक्त स्थायी समिति के सहमति के राज्य सरकार नगरपालिका निधि से व्यय किये जाने वाले पदाधिकारियों अथवा कर्मियों की नियुक्ति नहीं कर सकेगी तथा अगर राज्य सरकार इस अधिनियम के धारा 41 के अंतर्गत राज्य सरकार के पदाधिकारियों की नियुक्ति करती है तो ऐसे किसी पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ता मद में व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

लेकिन नगर पंचायत मोतीपुर के अभिलेखों की जॉच में पाया गया कि बिहार सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 3343 दिनांक 05.11.2014 द्वारा नगर पंचायत को चार मैन पावर सप्लाई के विरूद्ध राशि की मॉग किया गया था। भुगतानों के जॉच में पाया गया कि निदेशक, बुडा के पक्ष में नगर पंचायत मोतीपुर कार्यालय में नियुक्त किये जाने वाले चार कर्मियों का 11 महीनें के संभावित वेतन को नगरपालिका निधि अंतर्गत चतुर्थ राज्य वित्त की राशि से ड्राफ्ट सं0 772704 दिनांक 27.03.2015 से रू0 745918.00 का चेक पत्रांक सं0 82/27.03.2015 को निर्गत किया गया।

चार कर्मियों के योगदान की विवरणी इस प्रकार है।

पदनाम	योगदान करने वाले कर्मी का नाम सर्वश्री	योगदान की तिथि
सिविल अभियंता	सचिन कुमार शुक्ला	9.12.2014
लेखापाल	हशन शाबानी	06.01.2015
लिपिक	रामायण शर्मा	21.11.2014
लिपिक	मनोज कुमार	9.12.2014

इन नियुक्तियों के संबंध में अंकेक्षण दल द्वारा निम्नलिखित आपत्तियॉ की गयी।

1. क्या सशक्त स्थायी समिति द्वारा अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों के अंतर्गत इन व्यक्तियों की नियुक्ति की सहमति राज्य सरकार को पहले दी गयी थी?
2. क्या नगर पंचायत मोतीपुर कार्यालय द्वारा राज्य सरकार से कर्मियों की मॉग की गयी थी?
3. सशक्त स्थायी समिति द्वारा इसकी सहमति दी गयी थी ?
4. मोतीपुर नगर पंचायत कार्यालय में उपरोक्त पद स्वीकृत है अथवा नहीं ।
5. क्या कर्मियों के योगदान करने के बाद सशक्त स्थायी समिति द्वारा सहमति प्रदान की गयी थी ?

आपत्तियों के जवाब में कार्यालय द्वारा यह बताया गया कि विभागीय पत्र प्राप्ति के पश्चात् भुगतान किया गया था।

कार्यालय द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि उपर्युक्त प्रावधानों का पालन नहीं किया गया, अतः वेतन के मद में भुगतान की गयी राशि ₹ 745918/– संबधित व्यक्तियों से वसूलनीय है।

कंडिका संख्याः– 6 दैनिक मजदुरी पर अप्राधिकृत व्यय राशि :– ₹ 21.33 लाख

बिहार सरकार के पत्र स0 4 न0 स0 1-103/87-1231/नगर विकास विभाग दिनांक 06.05.1992 एवं अन्य विभिन्न पत्रों द्वारा शहरी निकायों में दैनिक मजदूरी पर रोक लगायी गयी थी।

परन्तु लेखा परीक्षा में उपलब्ध रोकड़ बही एवं अन्य दस्तावेजों के अवलोकन से यह पता चला कि नगर पंचायत मोतीपुर निम्नलिखित व्यक्ति दैनिक मजदूरी पर कार्य कर रहें थे।

1. परमानन्द कुमार
2. मनोज कुमार
3. रमेश प्रसाद मण्डल
4. गणेश राम
5. भगवती देवी
6. कालु राम
7. विजय राम
8. कुमारी मालती
9. भोला राम
10. छठु राम

उक्त लिखित व्यक्तियों पर 2013-14 से 2015-16 के दौरान रु 2133448 दैनिक मजदूरी पर व्यय किया गया, जो कि सरकार के निर्देशों के विरुद्ध एवं अप्राधिकृत है। विवरणी इस प्रकार है–

क्रम सं0	राशि	माह	अभियुक्ति
1	127348.00	मई–जुन'2013	
2	127348.00	जुलाई–अगस्त'2013	
3	114296.00	सितम्बर–अक्टुबर'2013	
4	57148.00	नबम्बर '2013	
5	114296.00	दिसम्बर–जनवरी'2014	
6	223443.00	फरवरी–मई'2014	
7	114045.00	जुन–जुलाई'2014	
8	114296.00	अगस्त–सितम्बर'2014	
9	114296.00	अक्टुबर–नवम्बर '2014	
10	171444.00	दिसम्बर–फरबरी '2015	
11	114296.00	मार्च–अप्रील'2015	
12	114296.00	मई–जुन'2015	
13	114296.00	जुलाई–अगस्त'2015	
14	114296.00	सितम्बर–अक्टुबर'2015	
15	114296.00	नबम्बर–दिसम्बर'2015	
16	120191.00	जनबरी–फरवरी'2016	
17	54291.00	जुलाई'1995 से मार्च 1999	श्री परमानन्द प्रसाद एवं श्री रामेश्वर प्र0 मंडल
18	51455.00	जनवरी'13 से जुलाई'14	श्री रंजीत कुमार
19	58071.00	अगस्त'14 से दिसम्बर'15	श्री रंजीत कुमार
	2133448.00		

अंकेक्षण दल द्वारा आपत्ति उठाए जाने पर कार्यालय द्वारा जवाब दिया गया कि कार्यालय के आवश्यक कार्य हेतु व्यय किया गया था।

कार्यालय द्वारा दिया गया जवाब मान्य नहीं है क्योंकि सरकार ने पहले ही विभिन्न आदेशों के माध्यम से दैनिक मजदूरी पर रोक लगा रखी हैं।

अतः दैनिक मजदूरी पर व्यय की गयी राशि ₹ 2133448/– अंकेक्षण आपत्ति के अधीन रखी जाती है।

कंडिका संख्याः– 7 वैट पर अनियमित भुगतान राशि :– ₹ 2.84 लाख

बिहार वैट अधिनियम 2005 के धारा 40 के साथ गठित नियम 28 के अन्तर्गत किसी भी सरकारी खरीद पर आपूर्तिकर्ता से एवं किसी भी विभागीय योजनाओं पर अभिकर्त्ता द्वारा समर्पित किए गए सामानों के खरीद के विपत्र से वैट की कटौती प्रस्तावित दर पर करके ही अंतिम भुगतान किया जाना चाहिए। कटौती केवल उसी स्थिति में नहीं की जा सकेगी जब आपूर्तिकर्ता द्वारा एवं अभिकर्त्ता द्वारा अंचल प्रभारी वाणिज्य द्वारा निर्गत प्रपत्र C-III प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया हो।

परन्तु मोतीपुर नगर पंचायत में योजना संचिका के अवलोकन से यह पता चला कि विभिन्न अभिकर्त्ताओं से बिना प्रपत्र C-III प्रमाण पत्र प्राप्त किए विभिन्न सामग्रियों के मूल्य पर वैट की कटौती नहीं की गयी एवं राशि ₹ 283643.00 का अधिक भुगतान किया गया। विवरणी इस प्रकार हैं।

चतुर्थ राज्य वित्त आयोग

क्रम सं0	योजना सं0	सामग्री का नाम	मात्रा	राशि का भुगतान	वैट की दर प्रतिशत में	वैट कटौती योग्य राशि	कटौती की गयी राशि	अन्तर
1.	01/2014–15	स्टोन चिप्स	68.35	166144.00	5	8307.00	2282.0	37485.00
		सोन बालु	25.20	65929.00	5	3296.00		
		सिमेंट	486 बैग	149688.00	13.5	20208.00		
		ईट	27108	159113.00	5	7956		
2	03/2014–15	स्टोन चिप्स	41.74	244622.00	5	12231.00	2042.00	37314.00
		सोन बालु	25.83	67576.00	5	3379.00		
		सिमेंट	467	142435.00	13.5	19229.00		
		ईट	20500	90331.00	5	4517.00		
कुल								**74799.00**

बी.आर.जी.एफ.

क्रम सं0	योजना सं0	सामग्री का नाम	मात्रा	राशि का भुगतान	वैट की दर प्रतिशत में	वैट कटौती योग्य राशि	कटौती की गयी राशि	अन्तर
1.	01/2014–15	सिमेंट	432 बैग	116640.00	13.5	15746.00	0.00	23702.00
		ईट	13037	159113.00	5	7956		
2	01/2015–16	सिमेंट	579	178332.00	13.5	24075.00	2637.00	40644.00
		ईट	19000	111522.00	5	5576.00		
		स्टोन चिप्स	55.65	192836.00	5	9641.00		
		सोन बालु	25.81	77970.00	5	3989.00		
कुल								**64346.00**

स्थानीय निधि मद

क्रम सं0	योजना सं0	सामग्री का नाम	मात्रा	राशि का भुगतान	वैट की दर प्रतिशत में	वैट कटौती योग्य राशि	कटौती की गयी राशि	अन्तर
1.	01/2014–15	सिमेंट	748	230384.00	13.5	31102.00	3473.00	45342.00
		स्टोन चिप्स	73.74	255508.00	5	12775.00		
		सोन बालु	37.76	98762.00	5	4938.00		
2	02/2015–16	सिमेंट	270	82350.00	13.5	11117.00	1183.00	21172.00
		ईट	17573	103146.00	5	5157.00		
		स्टोन चिप्स	24.15	83675.00	5	4184.00		
		सोन बालु	14.51	37947.00	5	1897.00		
कुल								**66514.00**

तेरहवीं वित्त आयोग

क्रम सं0	योजना सं0	सामग्री का नाम	मात्रा	राशि का भुगतान	वैट की दर प्रतिशत में	वैट कटौती योग्य राशि	कटौती की गयी राशि	अन्तर
1.	04/2015–16	सिमेंट	483	148764.00	13.5	20083.00	2185.00	35158.00
		स्टोन चिप्स	45.72	158401.00	5	7920.00		
		सोन बालु	37.76	98762.00	5	4938.00		
		ईट	15000	88044	5	4402.00		
2	02/2014–15	सिमेंट	600	155400.00	13.5	20970.00	शुन्य	42826.00
		ईट	27755	162910.00	5	8146.00		
		स्टोन चिप्स	53.75	189983.00	5	9499.00		
		सोन बालु	32.20	84211.00	5	4211.00		
कुल								**77984.00**

आपत्ति के जवाब में कार्यालय द्वारा यह कहा गया कि वैट के रूप में अधिक भुगतान की गयी राशि की वसूली संबधित अभिकर्त्ताओं से की जाएगी।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी से अनुरोध है कि इस दिशा में सकारात्मक प्रयास किए जाए एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को सूचित किया जाये तबतक अधिक भुगतान की गयी राशि ₹ 283643 संबंधित व्यक्तियों से वसूलनीय है।

कंडिका संख्याः– 8 होल्डिंग टैक्स की बकाया राशि :– रू0 14.54 लाख

कार्यालय नगर पंचायत मोतीपुर द्वारा मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया जिससे यह पता नहीं चल सका कि नगर पंचायत परिक्षेत्र में होल्ड़िग पर कितनी राशि की मॉग थी एवं कितनी राशि बकाया थी। हालांकि कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए होल्डिग टैक्स वसूली से संबधित विवरणी की जॉच के क्रम में पाया गया कि वर्ष 2013–14 से 2015–16 की अवधि में होल्ड़िग टैक्स के रूप में राशि ₹ 1454866.00 बकाया था। विवरणी इस प्रकार हैं –

क्रम सं0	वर्ष	पूर्व का बकाया	इस वर्ष की बकाया राशि	कुल वसूलनीय राशि	वर्ष के दौरान वसूली	वसुली का प्रतिशत	बकाया राशि
1	2013–14	819995.00	283224.00	1103219.00	94117.00	8.53	1009102.00
2	2014–15	1009102.00	283224.00	1292326.00	72482.00	5.60	1219844.00
3	2015–16	1219844.00	283224.00	1503068.00	48202.00	3.20	1454866.00

उक्त विवरणी से स्पष्ट है कि नगर पंचायत मोतीपुर द्वारा मकान कर के वसूली का प्रतिशत बहुत ही कम था और वर्ष दर वर्ष यह घटते जा रहा है जो एक चिंतनीय विषय हैं।

आपत्ति का कोई जवाब नहीं दिया गया।

अतः कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा वसूली हेतु ठोस कदम उठाए जाये एवं फलाफल से लेखा परीक्षा कार्यालय को अवगत करायी जाये।

कंडिकाः– 9 संचार (मोबाईल) टावरों का पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क बकाया ₹ 1.92 लाख

बिहार सरकार द्वारा संचार (मोबाईल) टावरों एवं संबंधित संरचना पर करों के संबंध में बिहार संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नियमावली, 2012 दिनांक 08.10.2012 को अधिसूचित किया गया है। उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(1) के अनुसार नगर पंचायत में पंजीकरण शुल्क राशि ₹ 30000.00 प्रति टावर एवं नवीकरण शुल्क की राशि ₹ 8000.00 प्रतिवर्ष निर्धारित है। नियम 6(2) के अनुसार उपर्युक्त नियमावली के प्रभावी होने के पूर्व के स्थापित टावरों को उपवर्गित पंजीकरण शुल्क जमा करना होगा नवीकरण शुल्क टावर स्थापित करने के समय से पूर्ण वर्षो के संख्या के आधार पर लिया जाएगा। नियम 6(4) के अनुसार प्रत्येक अतिरिक्त एंटिना पर 60 प्रतिशत की दर से पंजीकरण शुल्क तथा नवीकरण शुल्क अतिरिक्त रूप से लगाया जायेगा। नियम 6(8) के अनुसार पंजीकरण शुल्क एवं नवीकरण शुल्क के बिना तथा नगरपालिका के अनुमति के बगैर कोई भी संचार टावर स्थापित नहीं किया जाएगा तथा ऐसी अनुमति के बिना स्थापित सभी टावर अवैध माने जायेंगे।

अंकेक्षण के क्रम में यह पता चला कि कार्यालय नगर पंचायत मोतीपुर द्वारा स्थापित टावरों से संबंधित मॉग एवं वसूली पंजी का संधारण नहीं किया गया था। हालॉकि कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गए विवरणी के अवलोकन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि विभिन्न मोबाइल टावर कम्पनियों पर कुल रू0 192000/– का बकाया था। (विवरण परिशिष्ट VI पर संलग्न है)

नगर पंचायत मोतीपुर के अंतर्गत बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये कितनी कम्पनियों ने अपने मोबाइल टावर अधिष्ठापित किए थे और कार्यालय स्तर पर उनपर क्या कारवाई की गयी, अंकेक्षण दल को इस से अवगत नहीं कराया गया।

साथ ही साथ यह भी स्पष्ट नहीं किया गया कि दिनांक 01.04.2013 के पूर्व मोबाईल टावरों पर लगाये गये अतिरिक्त एंटिनाओं की संख्या कितनी थी तथा अतिरिक्त एंटिनाओं की वास्तविक संख्या ज्ञात करने के लिए नगर पंचायत मोतीपुर द्वारा सर्वेक्षण कब कराया गया था।

आपत्ति के आलोक में केवल इतना ही बताया गया कि बकाया राशि यथाशीघ्र वसूल किया जाएगा।

उक्त संचिका अगले लेखापरीक्षा में प्रस्तुत किया जाये साथ ही राशि की वसूली कर अगले लेखापरीक्षा को दिखलाया जाये।

कंडिका संख्याः– 10 दुकानों का बकाया किराया (₹ 11.78 लाख)

नगर पंचायत मोतीपुर द्वारा दुकान आवंटन संचिका एवं मॉग और वसूली पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह पता नहीं चल सका कि किन किन आवंटनधारियों के साथ नगर पंचायत का एकरारनामा किया गया था। हांलाकि अंकेक्षण के दौरान नगर पंचायत मोतीपुर द्वारा लेखापरीक्षा दल को

उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से यह स्पष्ट हुआ कि नगर पंचायत के क्षेत्रान्तर्गत में 45 दुकान अवस्थित थी। अंकेक्षण अवधि में विभिन्न दुकानदारों के पास राशि ₹ 1178400/– वसूली हेतु लंबित था। (विवरण परिशिष्ट VII पर संलग्न है)

विवरणी से स्पष्ट है कि 2015–16 में किसी भी दुकानदारों से कोई भी राशि किराए के रूप में वसूली नहीं गयी है जो प्रशासनिक तंत्र की विफलता को दर्शाता है।

आपत्ति के आलोक में बतलाया गया कि संबंधित दुकानदारों से बकाया राशि यथाशीघ्र वसूल कर ली जाएगी।

अतः बकाया राशि की जल्द से जल्द वसूली की जाए एवं फलाफल से अंकेक्षण कार्यालय को सूचित किया जाये।

कंडिका संख्याः– 11 योजना की स्थिति

नगर पंचायत मोतीपुर द्वारा समर्पित योजना विवरणी के अवलोकन से पता चला कि नगर पंचायत मोतीपुर में विभिन्न मदों में 72 योजनाएं ली गयी। ली गयी योजनाओं में 60 योजनाएं पूर्ण की गयी एवं 12 योजनाएं अभी तक अपूर्ण हैं। अपूर्ण योजानाओं में विभिन्न अभिकर्त्ताओं द्वारा राशि ₹ 26072360/– की मापी पुस्त कार्यालय को समर्पित की गयी जबकि ₹ 30306985/– राशि का भुगतान संवेदक को किया गया। इस प्रकार राशि ₹ 4234625/– विभिन्न अभिकत्ताओं के पास अग्रिम के रूप में हैं। विवरणी इस प्रकार हैं–

क्रम सं0	मद	ली गयी योजनाओं की संख्या	पुर्ण योजनाओं की संख्या	अपुर्ण योजनाओं की संख्या	बंद योजनाओं की संख्या	संवेदक को भुगतान की गयी राशि	अंतिम मापी की राशि
1	नगर पंचायत निधि	12	11	01	शुन्य	2590351.00	2300423.00
2	बी.आर.जी.एफ	10	10	शुन्य	शुन्य	3954194.00	3954194.00
3	चतुर्थ वित्त आयोग	20	11	09	शुन्य	11019333.00	7239636.00
4	तेरहवीं वित्त आयोग	09	09	शुन्य	शुन्य	3545952.00	3545952.00
5	आई.एच.एस. डी.पी.	20	18	02	शुन्य	8511955.00	8346955.00
6	पथ निर्माण	01	01	शुन्य	शुन्य	685200.00	685200.00
कुल		**72**	**60**	**12**	**शुन्य**	**30306985.00**	**26072360.00**

अंकेक्षण टिप्पणीः–

1. ली गयी 72 योजनाओं में से 12 योजना अंकेक्षण की समाप्ति तक पूर्ण नहीं की गयी। जबकि योजना पूर्ण करने की अवधि दो माह ही थी।
2. उपरोक्त तालिका से स्पष्ट हैं कि विभिन्न अभिकर्ताओं के पास राशि ₹ 4234697/– अग्रिम के रूप में पड़ी हुई है। विदित हो कि उपरोक्त सभी योजनाओं में श्री सचिन कुमार शुक्ला, कनीय अभियंता, मनोज कुमार, रंजय कुमार, कनीय अभियंता एवं प्रमोद कुमार सिंह, कनीय अभियंता अभिकर्त्ता के रूप में कार्य किए है। आगे नगर पंचायत से पता चला कि श्री सचिन कुमार शुक्ला